XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वासगीत पर्चा वाद संख्या–52/1997

शेख अब्बास, पिता–स्व0 रियाजुउद्दीन, साकिन–बनभाग, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ... .....

आवेदक

बनाम्

1. शेख जफीर, पिता–शेख वाहिद अली, साकिन–बनभाग, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ
2. देवेन्द्र नारायण चौधरी, पिता–स्व0 उदित नारायण चौधरी, साकिन–परोरा, थाना– के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ .....

विपक्षी

आदेश

आवेदक अंचलाधिकारी, के0नगर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–58/1992–93 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी संख्या–1 कैम्प कोर्ट में मौजा–बनभाग, खाता नं0–397, खेसरा नं0–1131, रकवा–02 डिसमिल एवं खाता नं0–346, खेसरा नं0–1132, रकवा–02 डिसमिल, कुल रकवा–04 डिसमिल जमीन कास पर्चा बनवाने के लिये अंचलाधिकारी को आवेदन दिया। कैम्प कोर्ट में अन्य 10 (दस) लोगों ने भी वासगीत पर्चा हेतु आवेदन दिया। अंचलाधिकारी द्वारा सभी को एक साथ कर संयुक्त रूप से एक ही वाद संख्या–58/1992–93 प्रारम्भ कर पर्चा निर्गत करने का आदेश दिया। पर्चा बनाने के पूर्व किसी प्रकार की औपचारिकता को पूरा नहीं किया गया। विपक्षी का कभी भी प्रश्नगत जमीन पर दखल नहीं रहा है। विपक्षी संख्या–1 प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है। बल्कि विपक्षी संख्या–1 को 5–6 एकड़ जमीन है, जबकि आवेदक के पास मात्र 10 (दस) कट्ठा जमीन है। सर्वे के पूर्व से ही आवेदक के पिता प्रश्नगत जमीन के कायमी रैयत थे। पिता की मृत्यु के उपरान्त आवेदक दखलकार है और वर्ष 1995 ई0 तक का मालगुजारी रसीद भी कटाया है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि विपक्षी संख्या–1 के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी प्रश्नगत जमीन का वास्तविक भूस्वामी भी नहीं है। विपक्षी एक प्रश्रय प्राप्त रैयत है और प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का घर बहुत पूर्व से बना हुआ है। आवेदक का अपना घर खेसरा संख्या–1111, रकवा–04 डिसमिल में अवस्थित है। खाता संख्या–397, खेसरा संख्या–1131 सफीद अली के नाम से था और सफीद अली ने अपने जीवन काल में ही विपक्षी संख्या–1 को प्रश्नगत जमीन मौखिक रूप से बेच दिया था। इस प्रकार विपक्षी का घर प्रश्नगत जमीन में अवस्थित होने के कारण अंचलाधिकारी द्वारा पर्चा निर्गत किया गया, जो नियम के अनुकूल है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया इस वरद को खारिज करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि पर्चाधारी का घर प्रश्नगत जमीन के खेसरा संख्या–1131, रकवा–2 डिसमिल में है और खेसरा संख्या–1132, रकवा–2 डिसमिल पर भी पर्चाधारी का बाड़ी–झाड़ी और दरवाजा है। वर्णित दोनों खेसरा कुल रकवा 04 डिसमिल में पर्चाधारी का घर 10 (दस) वर्षो से भी अधिक समय से है।

इस वाद में प्रथम सुनवाई दिनांक 16.07.2010 को की गयी। पुनः दिनांक 29.11.2010 को सुनवाई हेतु रखा गया। उस दिन विपक्षी के द्वारा एक नया आवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया। उसके आलोक में जबाब देने हेतु आवेदक के द्वारा समय की मांग की गयी। तदनुसार दिनांक 17.01.2011 की तिथि निर्धारित की गयी। इस वाद में अंतिम सुनवाई दिनांक 24.10.2011 को की गयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमीन मालिक रैयत का रिस्ता नहीं है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है। आवेदक के जमीन के निकट विपक्षी का भी जमीन है एवं यह 05 एकड़ से भी ज्यादा रकवा का है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2010 को दिये गये निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, के0 नगर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से विपक्षी का दखल–कब्जा का जिक है। उक्त जमीन पर विपक्षी द्वारा पूर्व से ही इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाकर रह रहे है।

पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्टहोता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दखल–कब्जा से आधारित है एवं विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ